



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 177 राँची, बुधवार,

13 अप्रैल, 2022 (ई०)

गृह विभाग ।

अधिसूचना

7 अप्रैल, 2015

संख्या-17चौ०/दफा० स्था०-17/07(खंड)-2032--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1- नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:-

- (1) यह नियमावली झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015 कही जायगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2- परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (1) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखंड के राज्यपाल ।
- (2) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखंड राज्य ।
- (3) 'विभाग' से अभिप्रेत है गृह विभाग, झारखंड सरकार ।
- (4) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग ।
- (5) 'सदस्य' से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति ।

- (6) 'उपायुक्त' से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जिसपर जिला के कार्यपालक प्रशासन का प्रभार हो ।
- (7) 'नियमावली' से अभिप्रेत है झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015
- (8) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, किसी जिला के उपायुक्त ।
- (9) 'बीट' से अभिप्रेत है एक चौकीदार का कार्य क्षेत्र जिसमें 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा ।
- (10) 'यूनियन' से अभिप्रेत है 18 बीटों का समूह। यह संख्या आपवादिक स्थिति में अधिक या कम भी हो सकती है ।

3- संवर्ग का गठन:-

- (1) विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे ।
- (2) यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा एवं संबंधित उपायुक्त इनके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी होंगे ।

4- आरक्षण:-

- (1) नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण लागू होगा ।

5- नियुक्ति:-

- (1) उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित रूप से गठित समिति के द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अनुशंसा की जायेगी-

(1)	उपायुक्त	-	अध्यक्ष
(2)	वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(3)	जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी	-	सदस्य
(4)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य
(5)	उपायुक्त द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ जनजाति के एक पदाधिकारी	-	सदस्य

- (2) **शैक्षणिक योग्यता-** चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थानों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होगी ।
- (3) **चरित्र-** अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जाँच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवायी जाएगी ।
- (4) **उम्र सीमा-** चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

- (5) अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा ।
- (6) अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा ।
- (7) चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथा संभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अन्तर्गत होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा ।

6- रिक्तियों का नियतीकरण:- कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक ।

7- नियुक्ति प्रक्रिया:-

- (1) चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किये जायेंगे और इसका व्यापक प्रचार संबंधित थाना/पंचायत/ अंचल में किया जायगा। साथ ही, व्यापक प्रचार में कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जायेगा ।
- (2) लिखित परीक्षा-सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंको की ली जायेगी। लिखित परीक्षा में जिला से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जायेगी ।
- (3) शारीरिक माप-अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा । न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही नियम 7(4) में निर्धारित शारीरिक जाँच के लिए योग्य होंगे ।

ऊँचाई
(निम्नतम)

(क) सामान्य जाति	160 से०मी०
(ख) पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	160 से०मी०
(ग) अनु०जाति/अनु०जनजाति	155 से०मी०
(घ) महिलाओं के लिए	148 से०मी०

- (4) शारीरिक जाँच-लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं नियम-7(3) में अंकित न्यूनतम शारीरिक माप धारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जाँच में निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे-

(क) एक मील की दौड़

	समय	अंक
(i)	पुरुषों के लिये - 05 मिनट या पहले	20 अंक
	05 मिनट के बाद 06 मिनट तक	10 अंक
	(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	
(ii)	महिलाओं के लिये - 08 मिनट या पहले	20 अंक
	08 मिनट के बाद 10 मिनट तक	10 अंक
	(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	
(5)	लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायगी ।	
8-	मेधा सूची:- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायगी ।	
9-	चिकित्सा परीक्षण:- नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जायगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदण्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर ही नियुक्त किया जायगा ।	
10-	परिवीक्षा:- चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाय तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अगर वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है ।	
11-	प्रशिक्षण:- परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा ।	
12-	सम्पुष्टि:- परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी ।	
13-	वेतनमान:- (1) चौकीदार का वेतनमान-पी बी-I,5200-20200, ग्रेड वेतन-1800 होगा ।	
	(2) दफादार का वेतनमान-पी बी-I,5200-20200, ग्रेड वेतन-1900 होगा ।	

- 14- **प्रोन्नति:-** नियम-5 में गठित समिति की अनुशंसा पर कार्यदक्षता तथा संतोषजनक कार्यकलाप के आधार पर युनियन में कार्यरत चौकीदार के पद से दफादार के पद पर प्रोन्नति युनियन की रिक्तियों के विरुद्ध दी जा सकेगी जो वरीयता सह मेधा पर आधारित होगी ।
- 15- **निरसन एवं व्यावृत्ति:-**
- (1) चौकीदार एवं दफादार की नियुक्ति/प्रोन्नति से संबंधित पूर्व में निर्गत ऐसे सभी नियम/आदेश/परिपत्र जो इन नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, प्रभावी नहीं रहेंगे ।
- (2) ये नियम राज्य सरकार द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों संबंधी बनाये गये अन्य सभी नियमों के अतिरिक्त होंगे ।
- 16- जिन नियमों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, इसके संबंध में राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/आदेश लागू होंगे। नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व की गयी संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई नियमावली के अधीन की गयी कार्रवाई समझी जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एन० एन० पाण्डेय,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।
